

कोयला मंत्रालय  
मांग संख्या 9  
कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	822.99	...	822.99	882.61	...	882.61	627.58	...	627.58	534.88	...	534.88
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	822.99	...	822.99	882.61	...	882.61	627.58	...	627.58	534.88	...	534.88
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	25.97	...	25.97	26.19	...	26.19	28.76	...	28.76	35.74	...	35.74
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	11.30	...	11.30	14.09	...	14.09	22.74	...	22.74	25.96	...	25.96
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>37.27</b>	...	<b>37.27</b>	<b>40.28</b>	...	<b>40.28</b>	<b>51.50</b>	...	<b>51.50</b>	<b>61.70</b>	...	<b>61.70</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>कोयला और लिग्नाइट</b>												
3. अनुसंधान और विकास	18.77	...	18.77	25.00	...	25.00	12.00	...	12.00	18.00	...	18.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	84.58	...	84.58	94.98	...	94.98	56.73	...	56.73	71.98	...	71.98
5. कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण	659.47	...	659.47	700.00	...	700.00	485.00	...	485.00	330.00	...	330.00
<b>जोड़-कोयला और लिग्नाइट</b>	<b>762.82</b>	...	<b>762.82</b>	<b>819.98</b>	...	<b>819.98</b>	<b>553.73</b>	...	<b>553.73</b>	<b>419.98</b>	...	<b>419.98</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>762.82</b>	...	<b>762.82</b>	<b>819.98</b>	...	<b>819.98</b>	<b>553.73</b>	...	<b>553.73</b>	<b>419.98</b>	...	<b>419.98</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. कोयला खान पेंशन स्कीम	22.90	...	22.90	22.35	...	22.35	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20
<b>कुल जोड़</b>	<b>822.99</b>	...	<b>822.99</b>	<b>882.61</b>	...	<b>882.61</b>	<b>627.58</b>	...	<b>627.58</b>	<b>534.88</b>	...	<b>534.88</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	22.90	...	22.90	22.35	...	22.35	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>22.90</b>	...	<b>22.90</b>	<b>22.35</b>	...	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	...	<b>22.35</b>	<b>53.20</b>	...	<b>53.20</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. कोयला और लिग्नाइट	774.12	...	774.12	752.07	...	752.07	521.10	...	521.10	403.94	...	403.94
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.97	...	25.97	26.19	...	26.19	28.76	...	28.76	35.74	...	35.74
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>800.09</b>	<b>...</b>	<b>800.09</b>	<b>778.26</b>	<b>...</b>	<b>778.26</b>	<b>549.86</b>	<b>...</b>	<b>549.86</b>	<b>439.68</b>	<b>...</b>	<b>439.68</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	82.00	...	82.00	55.37	...	55.37	42.00	...	42.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>82.00</b>	<b>...</b>	<b>82.00</b>	<b>55.37</b>	<b>...</b>	<b>55.37</b>	<b>42.00</b>	<b>...</b>	<b>42.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>822.99</b>	<b>...</b>	<b>822.99</b>	<b>882.61</b>	<b>...</b>	<b>882.61</b>	<b>627.58</b>	<b>...</b>	<b>627.58</b>	<b>534.88</b>	<b>...</b>	<b>534.88</b>

(₹ करोड़)

ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	6469.62	6469.62	...	6667.00	6667.00	...	6667.00	6667.00	...	2061.00	2061.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	6269.65	6269.65	...	9500.00	9500.00	...	10000.00	10000.00	...	14685.00	14685.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड	...	2131.80	2131.80	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	2500.00	2500.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>14871.07</b>	<b>14871.07</b>	<b>...</b>	<b>18467.00</b>	<b>18467.00</b>	<b>...</b>	<b>18967.00</b>	<b>18967.00</b>	<b>...</b>	<b>19246.00</b>	<b>19246.00</b>

- सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान कोयला नियंत्रण कार्यालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।
- अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।
- कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** यह प्रावधान सुरक्षा कार्यों और सुरक्षा सुधार के माध्यम से कोयले के संरक्षण के लिए है। इसमें कोलफील्ड क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना का विकास भी शामिल है और कोलफील्ड क्षेत्रों में भूमि सुधार और धसांव नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण उपाय करने का प्रावधान है।
- कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में

संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

6. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई। इस योजना के लिए निधियां कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा कुल वेतन का 1.17% के अंशदान से बनती हैं। केन्द्र सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा की शर्त पर कर्मचारी के वेतन का 1.67% की दर से अंशदान करती है। इस योजना के संचालन की लागत अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।